

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

:- शोभालाल

विपक्षी :- रामलाल

मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 79/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1 से 6 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धाकडो का खेडा, पटवार हल्का लुणदा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 146 की आराजी नम्बर 82 किता 1 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/- पांच सौ रुपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार इस बात की सुनिश्चितता करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

